न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 239 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 377)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरमन सिंह ढिल्लों पुत्र गुरिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरिन्द्र सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 09.12.2024

उपस्थितः1.श्री रमेश चन्द गुप्ता अधिवक्ता वादी
2.श्री मनोज कुमार बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—निर्णय—

दिनांकः 27.10.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 के मुरब्बा नम्बर 32, 33, 44, 45, 46, 47, 53/18, 53/28 की कुल 31.763 हैक्टेयर भूमि में से वादी की दादी सुरेन्द्र कौर पत्नी दीदार सिंह के नाम 6.830 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी की दादी सुरेन्द्र कौर ने अपने जीवनकाल में अपने पूर्ण होशो-हवास में व अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में मुझ वादी के पक्ष में दिनांक 13.12.2012 को पंजीकृत वसीयत रूबरू गवाहान पंजीकृत करवाई थी। जो वसीयत उपपंजीयक कार्यालय केसरीसिंहपुर में दिनांक 13.12.2012 को पंजीकृत करवाई थी। वादी की दादी सुरेन्द्र कौर ने उक्त वसीयत पंजीकृत करवाने के पश्चात दिनांक 08.08.2022 को उक्त भूमि में से 1.645 हैक्टेयर नहरी भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों को कर दिया तथा वर्तमान में वादी की दादी के हिस्सा में 5.185 हैक्टेयर भूमि शेष है। उक्त बेचान की गई भूमि का अभी तक खरीददारान के नाम से इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है। वादी की दादी सुरेन्द्र कौर का दिनांक 07.02.2023 को स्वर्गवास हो गया है। वादी की दादी के एकमात्र लडका वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गुरिन्द्र सिंह है। वादी के दादा का देहान्त पूर्व में दिनांक 03.09.1986 को हो गया था। इस प्रकार वादी की दादी सुरेन्द्र कौर के अन्य कोई वारिस नहीं है। सुरेन्द्र कौर की यह आखिरी वसीयत है। अन्य कोई वसीयत नहीं है। वादी की दादी के देहान्त के बाद वादी की दादी की उक्त 5.185 हैक्टेयर नहरी भूमि का वादी खातेदार मालिक हो चुका है। उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में है। वादी की दादी के जीवनकाल से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है। वादी उक्त भूमि का खातेदार मालिक हो चुका है। वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने पर उतारू है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार उक्त भूमि वादी के नाम वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादी टाल मटोल करता रहा और आज से 10 रोज पूर्व साफ इन्कार गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 के मुरब्बा नम्बर 32, 33, 44, 45, 46, 47, 53/18, 53/28 की कुल 31.763 हैक्टेयर भूमि में से सुरेन्द्र कौर पत्नी दीदार सिंह के नाम 5.185 हैक्टेयर भूमि को पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.12.2012 के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार बिश्नाई उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादी का दावा डिक्री फरमाया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। वादगत भूमि के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1897 दिनांक 15.07.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक सुरेन्द्र कौर पत्नी दीदार सिंह को विरास्त से कुल 2.213 हैक्टेयर भूमि व बैयनामा द्वारा कुल 7.856 हैक्टेयर भूमि तथा तबादला से 3.162 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। आज दिनांक को सुरेन्द्र कौर के नाम 5.185 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त गुरमन सिंह

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

ढिल्लों पुत्र गुरिन्द्र सिंह ढिल्लों का है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.12.2012 मुताबिक डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.12.2012 मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी की दादी सुरेन्द्र कौर पत्नी दीदार सिंह के नाम वर्तमान में राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 के मुरब्बा नम्बर 32, 33, 44, 45, 46, 47, 53/18, 53/28 की कुल 31.763 हैक्टेयर भूमि में से वादी की दादी सुरेन्द्र कौर पत्नी दीदार सिंह के नाम 5.185 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सुरेन्द्र कौर पत्नी दीदार सिंह के द्वारा चक 4 डब्ल्यू के खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 32, 33, 44, 45, 46, 47 की कुल 31.763 हैक्टेयर नहरी भूमि में से अपने नाम दर्ज कुल 7.856 हैक्टेयर भूमि की एक वसीयत अपने सागी पोता गुरमन सिंह ढिल्लों वत्स गुरिन्द्र सिंह वत्स दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर के पक्ष में दिनांक 13.12.2012 को निष्पादित की है। लिहाजा सुरेन्द्र कौर के द्वारा 7.856 हैक्टेयर भूमि की वसीयत की थी। परन्तु वर्तमान में सुरेन्द्र कौर क नाम 5.185 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और प्रकरण में वादी के द्वारा 5.185 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक पजीकृत वसीयत दिनांक 13.12.2012 वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। लिहाजा माफिक पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.12.2012 वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी गुरमन सिंह ढिल्लों पुत्र गुरिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर को राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 के मुरब्बा नम्बर 32, 33, 44, 45, 46, 47, 53/18, 53/28 की कुल 31.763 हैक्टेयर भूमि में से सुरेन्द्र कौर पत्नी दीदार सिंह के नाम दर्ज 5.185 हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.12.2012 की रूह से खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	**बनाम** **प्रतिवादीगण**
1. गुरमन सिंह ढिल्लों पुत्र गुरिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरिन्द्र सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वादपत्र धारा अन्तर्गतः 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955
प्रकरण संख्याः- **239/2024**
निर्णय दिनांक :- 27.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनोज कुमार बिश्नोई उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी गुरमन सिंह ढिल्लों पुत्र गुरिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर को राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 के मुरब्बा नम्बर 32, 33, 44, 45, 46, 47, 53/18, 53/28 की कुल 31.763 हैक्टेयर भूमि में से सुरेन्द्र कौर पत्नी दीदार सिंह के नाम दर्ज 5.185 हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.12.2012 की रूह से खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा।

आज दिनांक 27.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	**रुपया**	**पैसा**	**मुदायली**	**रुपया**	**पैसा**
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/793 दिनांक 27.10.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर